

Profile of the Orgnation

Name of NGO	-	SAHYOGI MITRA MANDAL
Year of Establmanet	-	12 September 1990, Type-SOCIAL
Registration Society Act	-	RN 3177 Date 14-05-1996
FCR Act	-	RN 327630013 Date 03-08-2005
IT Act	-	PAN No.AABAS0783J, Date 01-01-2002
		TAN No.JBPS12278A Date 26-04-2017
		12-A,AABAS0783JE20212,Date 24-09-2021
		80-G 130451550050222, Date - 05-02-2022
Niti Ayog	-	CG/2010/0033186 Date 22-06-2010
MSME	-	UAM No.- CG05D0009937, Date 23-05-2020
CSR Portal	-	CSR00011513 Dated 17-07-2021
ISO	-	GCS/QMS/1521 Date 31-08-2016
Our Affiliations	-	Nehru Yuva Kendra, Sports and youth walfare, social welfare, Education, Jansampark, Outreech Sanchar Beuro, DDU-GKY, MIB, DOT, SFAC,QCI
Our Network	-	Voluntary Action Network(VANI) Samrathan Centre for Development support, CG Voluntary Action Network Z-Media, FMSF, CPA India Donets, Guide Star, NDF, SPS, VYK, GPF, MF, CA, National Yuva Co-Operative Socitey Ltd. Help NGO, ALVA Foundation, Sigma Samajik Sanstan, SMFPCL, HJFPCL, Rediand Infonet Pvt.Ltd. Samunnati Financial Pvt.Ltd.Donner Crew.
Our Specical Collaboration	-	Seth RCS Art And Commerse Durg (CG) Sail Devi, Mahavidyala Anda Durg (CG) Athrv MSW College Dhanora, Durg (CG)
Our Tecnical Support	-	SB Consultancy, Shiva Click Soft, GPR Straitgis And Solutions
Our Bankers	-	SBI, SBI NDMB, BOI, UBOI, JSKB, ICICI.
Payment Getway	-	CC evenue
Our Achievement	-	<i>Sahyogi Mitra Mandal in recognition of the out standing voluntary work rendered in the field of National Devel-opment and Social Service.</i>
Our Focused Issue	-	Information. Education, Helth Social Welfare, Agriculture And rural Development.
Our Operational Pollicies	-	Finance &Account, Sexual Harassment, Human Resource Child Protection, Procurement, Data Protection Whistle Blower, POCSO, Inclusion, Conflict of Interest Code of Conduct, Monitoring/Evaluation/Quality
Our Institutions	-	Farmer Prodrucer Organisation, Sahyogi Resource Center, Sahyogi NGO Network, Sahyogi SHG Fedrations Sahyogi Lok Sewa Kendra, Om Public Schools, De Adiction Centre
Our Innovative Plan	-	To stablish Communy Radio Staiton "Sahyogi Radio" Vill & Post Thanoud Distt. Durg (C.G.)
Our Human Resources	-	Chief Functionary- Smt.Annpurna Sinha,CEO-Mahindra Kumar Sinha, Planner-Narendra Rathour,Advioser-Rajendra Rao, CA-Smita Jain, Dinesh Daruka,Neha Garg

Contact - Us

Sahyogi Mitra Mandal, Sumitra Niwas, Santoshi Darbar, Ganjpara,Durg (C.G.) 491001
Phone-09981022345,Email.sahyogicg1972@gmail.com,Website-www.sahyogicg.org.

XXX-Part.-21

रूप क्रमांक २
(देखिये नियम ७)
मध्यप्रदेश शासन



समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

सं.रा.विज.दु.पं०क्र०-3177,
क्रमांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि " सहयोगी मित्र मण्डल धनौद दुर्ग " समिति जो ग्राम व पोष्ट धनौद, दुर्ग, म.नं०-100, जय बजरंग चौक, तहसील, जिला, दुर्ग में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (सन् १९७३ का क्रमांक ३४) के अधीन 14-5-1996 को पंजीयित की गई है।

दिनांक 14-5-1996 माह मई सन् १९९६



(Handwritten Signature)
(डी. डी. गहन्त)
समितियों के अधि. रजिस्ट्रार
समितियों के रजिस्ट्रार

नियमावली (संसोधित)

- 1) संस्था का नाम : सहयोगी मित्र मंडल , थनौद ,दुर्ग होगा।
- 2) संस्था का कार्यालय : ओम परिसर ,थनौद , तहसील -दुर्ग ,जिला -दुर्ग(छ.ग.)पिन - 491001
प्रशासनीक कार्यालय : सुमित्रा निवास,संतोषी दरबार , गंजपारा , दुर्ग(छ.ग.)
- 3) संस्था का कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण छतीसगढ होगा।
- 4) संस्था के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे।



- (1) शिक्षा के लोकव्यपीकरण हेतु कार्य करना इस हेतु शैक्षिक गतिविधियों में विद्यालय, महाविद्यालय, प्रशिक्षण विद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, संगीत शिक्षा, जन शिक्षण संस्थान, योग शिक्षा संस्थान, वयस्क शिक्षा संस्थान की स्थापना युवा संचालन करना। तथा नैतिक शिक्षा, संस्कार, आध्यात्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कार्य करना। युवा समितियों के विकास के क्षेत्र में कार्य करना।
- (2) व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत बी.एड, एम.एड, बी.पी.एड, बी.एस.डब्ल्यू.एम.एस.डब्ल्यू. शिक्षा प्रदान करना।
- (3) तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत कंप्यूटर, इन्फार्मेशन, टेकनालॉजी, रेडियो केन्द्र का संचालन एवं प्रबंधन।
- (4) स्कील डेव्लपमेंट मिशन के अंतर्गत क्षमता वृद्धि एवं कौशल विकास हेतु विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।
- (5) सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्य करना इस हेतु ग्रामीण सूचना प्रौद्योगिकी युवा विकास केन्द्र सूचना केन्द्र पुस्कालय की स्थापना एवं संचालन करना।
- (6) खेल एवं युवा कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना।
- (7) समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना जिसमें वृद्ध कल्याण, निःशक्त कल्याण, नशामुक्ति, गतिविधियां, सामाजिक कुरृतियां उन्मूलन, अवसाद रोकथाम, मनोचिकित्सा, दलित कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, आदिवासी/अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम् की भावना के साथ समाज के कमजोर, जरूरतमंद एवं निर्धन लोगों के उत्थान हेतु कार्य करना।
- (8) राष्ट्र निर्माण की दिशा में युवाओं को सक्रिय योगदान हेतु प्रेरित करना।
- (9) सामाजिक मुल्यबोध गतिविधियां, बालश्रम उन्मूलन, उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, हस्तकला, सहकारिता, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा आजीविका के क्षेत्र में कार्य करना।
- (10) स्वशासन, पंचायतीराज सशक्तिकरण, नगर निकाय सशक्तिकरण व गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करना।
- (11) शासन के समसमायिक जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, योजनाओं का प्रचार प्रसार, क्रियान्वयन, देखरेख एवं अनुश्रवण तथा दक्षता निर्माण हेतु प्रशिक्षणों के क्रियान्वयन करना।
- (12) पर्यटन, लोककला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करना।
- (13) पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, सामाजिक वानिकी, वन प्रबंधन एवं वनीकरण, पशुपालन, जीव जंतु के संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करना।

अ. न. शर्मा

(15) ग्रामीण संसाधनों के आधार पर विज्ञान एवं तकनीकी द्वारा कृषि, जैविक कृषि, जैविक खाद, औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती, कृषि वानिकी, उद्यानिकी, खाद सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण तथा सामुदायिक कृषि के क्षेत्र में भागीदारी हेतु सहयोगी किसान उत्पादक संगठन का संचालन करना। स्वरोजगार एवं स्वावलंबन हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना।

(16) महिला एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करना। इस हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन, सेवा प्रदाता के रूप में कार्य प्रक पोषण आहार, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य गतिविधियों में भागीदारी देना। कुपोषण, जेन्डर, पैरवी के क्षेत्र में कार्य करना।

(17) सामुदायिक एवं वैज्ञानिक पहलु से संबंधित शोध एवं अनुसंधान कार्य में भागीदारी प्रदान करना।

(18) सामुदायिक सामग्री निर्माण, ग्रामीण विकास एवं नगरीय विकास के क्षेत्र में कार्य करना।

(19) सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भागीदारी देना।

(20) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु कार्य करना।

(21) जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार तथा दक्षता निर्माण हेतु प्रशिक्षणों का क्रियान्वयन करना।

(22) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्षेत्र में कार्य करना।

(23) (i) संस्था का विजन - समतामूलक शोषण रहित समुदाय की स्थापना करना जिसमें सूचना सब तक पहुंचे एवं विकास की प्रक्रिया में सबकी अपनी भागीदारी हो।

(ii) संस्था का मिशन - विकास की प्रक्रिया में भागीदारी देकर समाज के लिये उपेक्षितों के हित में कार्यरत सभी स्वैच्छिक प्रयासों का सफल बनाने हेतु कार्य करना।

(iii) संस्था की रणनीति - सामुदायिक उत्प्रेरणा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्था का विशेषज्ञता क्षेत्र है। समाज के निर्धनतम एवं पहुंचविहीन लोगों को आवश्यकतानुसार उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना। संस्था का विशेष लक्ष्य है। जनकल्याण की भावना के साथ सतत सेवा कार्य, संगठित श्रम शाक्ति एवं प्रशिक्षित स्वसेवक ही संस्था की प्रमुख ताकत है।

(iv) सूचना, शिक्षा एवं संचार के क्षेत्र में कार्य करके विकास की प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाना।

(v) स्व-सहायता समूहों को प्रेरित व प्रशिक्षित कर विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सहयोगी एस.एच.जी. फेडरेशन का संचालन करना।

(vi) स्वैच्छिक संस्थाओं में समन्वय विकास कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु सहयोगी एन.जी.ओ. नेटवर्क का संचालन करना।

(vii) संस्थाओं, समूहों, युवाओं, पंचायतों को मागदर्शन, परामर्श एवं प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहयोगी रिसोर्स सेंटर का संचालन करना।

(viii) विविध आवश्यकता व जनसुविधाएं हेतु सहयोगी लोक सेवा केन्द्र का संचालन करना।

अन्वयता (स.स.)

5) सदस्यता- संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे -

अ) संरक्षक सदस्य : संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में 10000/- रुपये या अधिक एक मुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समूह का संरक्षक सदस्य होगा ।

ब) आजीवन सदस्य : संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में 8000/- रुपये या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रुपये 2000/- या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है

स) साधारण सदस्य: जो व्यक्ति संस्था को प्रतिमाह 500/- रु. माह या 6000/- प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छ. माह तक देय चंदा नहीं देगा । उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा समूह के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दा की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।

द) सम्माननीय सदस्य : संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिए जो भी वह समझें सम्माननीय सदस्य बना सकती है । ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु वोट देने का अधिकार नहीं होगा

इ) गोपालक सदस्य : जो व्यक्ति एकमुश्त संस्था को रु. 501/- (अक्षरी पांच सौ एक रुपये) चन्दे के रूप में देगा वह एक वर्ष अवधि के लिये गोपालक सदस्य होगा ।।

क) एसोसियेट सदस्य : जो व्यक्ति /संस्था /समूह एकमुश्त संस्था को रु. 1000/- (अक्षरी एक हजार रुपये) चन्दे के रूप में देगा वह एक वर्ष अवधि के लिये एसोसियेट सदस्य होगा ।।

6) सदस्यता की प्राप्ति : प्रत्येक व्यक्ति जो समिति सदस्य बनने का इच्छुक होगा । उसे लिखित रूप में आवेदन करना होगा, ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसे आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

7) सदस्यों की योग्यता : संस्था के सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है ।

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
2. भारतीय नागरिक हो ।
3. संस्था के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।
5. संस्था में महिला एवं पुरुष दोनों सदस्य बन सकते हैं ।

8) सदस्यता की समाप्ति : संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो जावेगी ।

1. मृत्यु होने पर ।
2. पागल हो जाने पर ।
3. संस्था को देय चंदा की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर ।
4. त्याग पत्र देने और वह स्वीकार होने पर ।
5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

अनुराग सिंह

9) संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे ।

- 1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय ।
- 2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं. ।
- 3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त की गई हो ।
- 4) सदस्यों के हस्ताक्षर ।

10 अ) साधारण सभा : साधारण सभा में नियम 5 में बताये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह अप्रैल होगा तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी संस्था निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था



के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा । यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कार्यकारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा ।

प्रबंधकारिणी सभा : प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी । बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक के दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिए कोरम की कोई शर्त न होगी ।

स) विशेष : यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

द) विशेष टीप: समान विचारधारा एवं उद्देश्य वाली शासकीय, अशासकीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दानदाता संस्थाओं, किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, वाणिज्यिक संस्थान, फर्म, व्यक्ति से संस्था अपने उद्देश्य अनुसार कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु दान, अनुदान, ऋण प्राप्त कर सकेगी। ऐसे समस्त दानदाता संस्थाओं, व्यक्तियों या उसके प्रतिनिधियों को संस्था के साधारण सभा में भाग लेने का अधिकार होगा ।

11) साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य:

- क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
- ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
- ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
- घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों ।
- च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
- छ) बजट का अनुमोदन करना ।

अनुमोदित (स.स.)

12) प्रबंधकारिणी का गठन : नियम 5 (अ.ब.स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।

(1) अध्यक्ष-01

(2) उपाध्यक्ष-01

(3) सचिव-01

(4) कोषाध्यक्ष-01

(5) संयुक्त सचिव-01 (6) कार्यकारिणी सदस्य-02

13) प्रबंध समिति का कार्यकाल : प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष होगा संस्था का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक की गई प्रबंधकारिणी समिति का अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :

अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संस्था का गठन हुआ है उनकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।

पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा परीक्षित किया और प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।

संस्था एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना ।

संस्था की चल, अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।

द) कर्मचारियों, शिक्षिकों आदि की नियुक्ति करना ।

इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय पर सौंपे जाए ।

घ) संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी ।

छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार को लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आन्तरित नहीं की जाएगी ।

ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा को विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित का पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15) अध्यक्ष के अधिकार :अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।

16) उपाध्यक्ष के अधिकार :अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा ।

17) सचिव मंत्री का अधिकार :

1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना ।

2) संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना

3) संस्था के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना । उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।

4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रुपये 3000/- खर्च करने का अधिकार होगा ।

अध्यक्ष (स.स.)

- 18) कोषाध्यक्ष का अधिकार : संस्था की धनराशि का पूर्ण हिस्सा रखना तथा सचिव या कार्यकारीय समूह द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।
- 19) संयुक्त सचिव के अधिकार : सचिव की अनुपस्थिति में से सचिव कार्य करेंगे ।
- 20) बैंक खाता : संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी । धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 5000/- रहेंगे । संस्था किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, वाणिज्यिक संस्थान, फर्म व्यक्ति से संस्थागत विकास कार्य, अधोसंरचना विकास, परियोजना कार्य हेतु ऋण प्राप्त कर सकेंगी।
- 21) पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी : अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारीणी समूह को सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय नियत शुल्क के साथ भेजेगी । संशोधन : यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित होगा ।
- 23) विघटन : संस्था का विघटन साधारण सभा में सदस्यों के 2/3 मत से किया जा सकेगा । विघटन के पश्चात् अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंपी जावेगी ।
- 24) सम्पत्ति : संस्था की समस्त चल तथा अचल संपत्ति संस्था के नाम से रहेगी संस्था की अचल संपत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अन्तरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।
- 25) बैंक खाता : संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जावेगा एवं समय समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी । संस्था किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, वाणिज्यिक संस्थान फर्म व्यक्ति से संस्थागत विकास कार्य, अधोसंरचना विकास, परियोजना कार्य हेतु ऋण प्राप्त कर सकेंगी।
- 26) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना : संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फार्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।
- 27) विवाद: संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से किसी को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रमाणित विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा । संबंध में समस्त प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

शुल्क 2122 घालाने के द्वारा जमा किया गया है पंजीयन फार्म का दिनांक 14/05/20 द्वारा पंजीकृत संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है, जारी होने का दिनांक 04/2/2020

अन्तर्गत 14/5/20

(एन. के. नारनवरे)

समितियों के असिस्टेंट रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़

कार्यालय रजिस्ट्रार, फार्म एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-एक, तृतीय तल, अटल नगर नवा रायपुर

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक

क्रमांक/रि.प.क.-3177/1996/507/19

25/8/2020

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

सहयोगी मित्र मंडल

पता-ग्राम-थनौद, जिला-दुर्ग।

विषय:-छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन-1998) की धारा-29 के अधीन कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रतिलिपि बाबत।

संदर्भ :-आपकी ओर प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 20.08.2020 एवं 25.08.2020

—00—


संस्था सहयोगी मित्र मंडल, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीयन क्रमांक-3177, दिनांक 14.05.1996 द्वारा पंजीकृत है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

संस्था द्वारा दिनांक 24.04.2020 को आयोजित आमसभा के बैठक की जानकारी नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय में दिनांक 20.08.2020 एवं 25.08.2020 को फायलिंग शुल्क रूपये 8000/-चालान क्रमांक-041220350, दिनांक 20.08.2020, दुर्ग में जमा कर प्रस्तुत करते हुए सूची प्रदाय करने हेतु धारा-29 के अधीन रूपये 40/-, चालान क्रमांक-041916673, दिनांक 20.08.2020, दुर्ग में जमा कर प्रस्तुत किया गया है।

अतः संस्था द्वारा प्रस्तुत सूची को धारा-27 के अधीन दिनांक 25.08.2020 को रिकार्ड पर लिया गया है। जिसमें कार्यकारिणी पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नानुसार नामों का उल्लेख किया गया है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
01	श्रीमती अन्नपूर्णा सिन्हा	अध्यक्ष
02	श्री मुकेश यादव	उपाध्यक्ष
03	श्री तोरण लाल चन्द्राकर	सचिव
04	श्रीमति सुषमा साहू	कोषाध्यक्ष
05	लक्ष्मीकांत ठाकुर	संयुक्त सचिव
06	प्रीती पुरेना	कार्यकारिणी, सदस्य
07	तारा कुलदीप	कार्यकारिणी सदस्य

अतः एतद् द्वारा आज दिनांक 25/08/2020 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाती है।


(एन.के.नारनवरे)

सहायक पंजीयक
फार्म एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़



SAHYOGI MITRA MANDAL ,THANOD ,DIST.-DURG

current executive committee

Details	President	Vice President	Secretary	Treasurer	Joint Secretary	Executive Member	Executive Member
Name	Smt. Annapurna Sinha	Shri Mukesh yadav	Shri Torabn Chandrakar	Smt. Sushma Sahu	Shri Kuber Singh Gajendra	Miss. Preeti Purena	Smt Tara Kuldeep
D.O.B	15/08/1978	11/6/1966	12/6/1975	11/12/1978	10/10/1971	7/7/1988	17/11/1973
Husband/ Father's Name	Shri Mahendra	Shri Ramkumar yadav	Shri Netram Chandrakar	Shri Jeevan Lal Sahu	Shri Shivcharan Gajendra	Shri Satdhari Lal Purena	Shri Sanjay Kuldeep
Address	HN267, Ward no. 37, Azad Ward ,Durg (C.G.)491001	Dr. Abedakar , Balod ,Ward 13 , Balod (C.G) 491226	HN.113 Ward 03 Kachandur , balod (C.G.) 491226	206, ward 11- Pawwara, Utai Durg(C.G.) 491001	Ward 15 Charama ,North bastar Kanker .Charama (C.G.)494337	Vill.&Po. - Beldar Sivani,Blo.- Tilda Raipur (C.G.) 493225	Ward 05, NH12A , Sharda Nagar basti Bodla ,Dist. Kabirdham(C.G.) 491995
Office Address	Sumitra Nivas Santoshi Darbar, Ganjpara Durg (C.G.)491001	Sumitra Nivas Santoshi Darbar, GanjparaDurg (C.G.)491001	Sumitra Nivas Santoshi Darbar, GanjparaDurg (C.G.)491001	Sumitra Nivas SantoshiDarbar, GanjparaDurg (C.G.)491001	Sumitra Nivas Santoshi Darbar, GanjparaDurg (C.G.)491001	Sumitra Nivas Santoshi Darbar, GanjparaDurg (C.G.)491001	Sumitra Nivas Santoshi Darbar, GanjparaDurg (C.G.)491001
PAN No.	BFIPS2529Q	AAKPY5286E	ADRPL1345N	CTXPS4045K	CPYPS6489G	BIUPP2219P	FSNPK5551E
Adhar No.	864644327462	446753818130	614645703363	273627237285	990438474196	853911633143	321746244053
Mo. No.	8103830823	9425554543	9893037445	9301780646	9424275131	9617660292	9109330874
Email	durg.annapurna 78@gmail.com	advitiyaraysa @gmail.com	toranchandrakar 75@gmail.com	sushmasahu111 278@gmail.com	gajendra071 @gmail.com	preetipurena1177@g mail.com	sahyogicg1972 @gmail.com

नेहरु युवा केन्द्र, दुर्ग (म.प्र.)

(स्वायत्तशासी संस्था)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, युवा कार्य एवं खेल विभाग (भारत सरकार)

जिला युवा मंडल पुरस्कार 1996-97

यह जिला युवा मंडल पुरस्कार संस्था सहयोगी जिला मंडल पुरस्कार को उनके द्वारा राष्ट्रीय विकास एवं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में स्वेच्छा से किये गये उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिये प्रदान किया जाता है।

NEHRU YUVA KENDRA

(AN AUTONOMOUS BODY)

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT MINISTRY

DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS (Govt. of India)

DISTRICT YOUTH CLUB AWARD

This Youth club Award is given to club SAHYOGI MITRA MANDAL, THAND in recognition of the outstanding voluntary work rendered in the field of national development and social service.

Collector and Chairman

Distt. Advisory Committee for

Youth Programme (M.P.)

Nehru Yuva Kendra, Durg (M.P.)

Youth Co-ordinator

DISTRICT YOUTH COORDINATOR

NEHRU YUVA KENDRA

DURG (M.P.)

-: सहयोगी मित्र मंडल :-

- ☆ संस्था की स्थापना : 12 सितंबर 1990, पजीयन क्र.3177, दिनांक 14.05.1996
- ☆ संस्था का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण छत्तीसगढ़, पंजीकृत कार्यालय, थनौद जिला दुर्ग
- ☆ संस्था की वैधानिक स्थिति : सोसायटी अधिनियम, आयकर अधिनियम, विदेशी अनुदार अधिनियम, कंपनी अधिनियम, नीति आयोग एवं एम.एस.एम.ई. से पंजीकृत ।
- ☆ संस्था की विशिष्ट उपलब्धि : राष्ट्रीय विकास एवं समाजिक सेवा के क्षेत्र में स्वेच्छा से किये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए शासन से पुरस्कृत ।
- ☆ संस्था के मुख्य उद्देश्य : विकास की प्रक्रिया में लोगों सहभागिता बढ़ाना ।
- ☆ संस्था की मुख्य गतिविधि :-

1- सामुदायिक रेडियो स्टेशन - रेडियो प्रसारण द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु ग्राम थनौद, जिला दुर्ग (छ.ग.) में सहयोगी रेडियो प्रारंभ किया जा रहा है। इस हेतु शासन स्तर पर सभी औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली गई हैं। रेडियो केन्द्र हेतु संस्था की पंजीकृत व व्यपवर्तित 36000 वर्ग फिट भूमि उपलब्ध है तथा भवन निर्माण प्रस्तावित है। यह रेडियो केन्द्र शासन एवं आम जनता के मध्य बेहतर संवाद स्थापित करेगा।

2- सहयोगी रिसोर्स सेंटर - शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रचार प्रसार, क्षमता वृद्धि, अनुश्रवण, देख रेख, प्रतिवेदन निर्माण, फालोअप, ग्रामीण सहभागी आंकलन हेतु संस्था द्वारा बहुउद्देशी प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किया जा रहा है, जहाँ आवश्यकतानुसार आवासीय एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

3- कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) - कृषि एवं किसान विकास हेतु यह शासन की महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। संस्था विगत 3 वर्षों से विकास खण्ड दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) में कृषक उत्पादक संगठन के रूप में सफलता पूर्वक कार्यरत है।

☆ प्रोड्यूसर कंपनी का नाम - हरियाली जगार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, दुर्ग।

☆ वैधानिक स्थिति - कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में पंजीकृत।

☆ सी.आई.एन. - U01400CT 2021PTC012066 दिनांक 08.09.2021

☆ विभागीय जुड़ाव - एस.एफ.ए.सी. नई दिल्ली, रेडियेंट इनफोटेक नईदिल्ली।


☆ मुख्य उद्देश्य - कृषि उद्यानिकी एवं एलाइट क्षेत्र में किसानों के सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु विविध व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन करना।

☆ किसानों का जुड़ाव - वर्तमान में 500 से अधिक किसान कंपनी से जुड़े हुए हैं तथा 300 किसान 22.09.2021 तक शेयर होल्डर बन चुके हैं। कंपनी शासन के एकविटी ग्रांट योजना में प्रथम किस्त 2.5 लाख हेतु चयनित हुई हैं।

☆ संचालन टीम - क्षेत्र के पगतिशील व उच्च शिक्षित व अनुभवी 10 किसान संस्था एवं कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं।

स्थान : दुर्ग (छ.ग.)

दिनांक: 04.10.2021


(श्रीमती अन्नपूर्णा सिन्हा)
अध्यक्ष
सहयोगी मित्र मंडल

सहयोगी मित्र मंडल दुर्ग (छ.ग.)

SAHYOGI MITRA MANDAL

Unique Id of VO/NGO	CG/2010/0033186
---------------------	-----------------

Registration Details

Registered With	Registrar of Societies
Type of NGO	Society
Registration No	3177
Copy of Registration Certificate	Available
Copy of Pan Card	Available
Act name	Society act 1973
City of Registration	DURG
State of Registration	CHHATTISGARH
Date of Registration	14-05-1996

Members

Name	Designation	Pan	Aadhaar
ANNAPURNA SINHA	President	Available	Available
MUKESH KUMAR YADAV	Vice President	Available	Available
AMBIKA MISHRA	Secretary	Available	Available
SUSHMA SAHU	Treasurer	Available	Available
KUBER SINGH	Executive Member	Available	Available

Sector/ Key Issues

Key Issues	Disaster Management, Education & Literacy, Environment & Forests, Health & Family Welfare, HIV/AIDS, Human Rights, Information & Communication Technology, Micro Finance (SHGs), Panchayati Raj, Right to Information & Advocacy, Rural Development & Poverty Alleviation, Sports, Vocational Training, Women's Development & Empowerment, Youth Affairs
Operational Area- States	CHHATTISGARH
Operational Area- District	Rajnandgaon

FCRA details

FCRA Available	FCRA Registration no.
Available	327630013

Details of Achievements

About us: Sahyogi Mitra Mandal is a non profitable registered voluntary organization. Which has been working in Chhattisgarh since 1990. Our main focus areas are education, health, social welfare, rural development. Sahyogi Mitra Mandal is registered under Society Registration Act. 1973 at 14 May 1996 and also registered FCRA and IT Act 1961 of 12 A. Our main aim is increasing the participation of Social development process. Recognition: Awarded in the reorganization of the outstanding voluntary work rendered in the field of national development and social service in 1996-97 at Durg Distt by collector and chair main dist. Advisory committee for youth programme, Nehru Yuva Kendra, Durg (C.G.) Affiliation: Nehru Yuva Kendra, (Ministry of youth affairs and sports) Ministry of Youth welfare and sports govt. of C.G. Ministry of Panchayat and Social welfare govt of C.G. Central pollution control board ministry of forest and environment Song & drama division, ministry of information & broadcasting M.P. Networking: Samarthan, Centre for development support, C.G. & M.P. C.G. Voluntary Health association CYSD Bhubneshwar, Orissa CART Chhattisgarh Samaj Pragati Sahyog Bagli CNRI, New Delhi Credibility Alliance Objective: To work education, information, communication, To work for health & sanitation & environment To work for panchayat raj & rural development To work for child, youth, woman & social welfare. Working Area Chhattisgarh State Current Projects: Rural information technology youth development center, Thanod, Supported by Nehru Yuva Kendra, Durg, Project Location: Durg Health Mitani Programme, Supported by Distt. RCH Society, Durg, Project Location: Block Durg (C.G.) RCH Programme II, Supported By Clear Mother NGO, Raipur, Project Location: Ambargarh Chowki, Distt Rajnandgaon National Environmental Awareness Campaign (NEAC) Supported by: C.G. Environment conservation board, Raipur Project Location: Durg Targeted Intervention Project (HIV AIDS) supported C.G. AIDS Control society, Raipur Project Location: Durg City (Urban) Vocational Training for self employment, Supported by Distt Employment Center, Durg Project Location: Durg Awareness activity on national integration, communal harmony, health and sanitation program, disaster management & water conservation supported by: Song & drama division, ministry of broadcasting Bhopal (M.P.) project location: All Chhattisgarh C DAP Program / Gender issue, supported by Priya Chhattisgarh, Project Location: Block Doundi, Doundi Lohara, Nawagarh, Gunderdehi, Patan, Balod Dist. Durg (C.G.) Running school supported by Education Department, Durg, Project Location: Durg Other Creative participation on every govt., Non govt., & NGO programmes Area of specialization: Community motivation, awareness and training programme Main Strengths: United Man Power and trained volunteers

Source of Funds





Department Name	Source	Financial Year	Amount Sanctioned	Purpose
JANPAD PANCHAYAT	State	2014-2015	246000	Under the program in 72 panchayats motivation program arranged with Yuva Mandal, Mahila Mandal, SHGs and program duration was 7 days. In these training programs cover many issues such as Leadership skill, Planning building, Panchayat empowerment, Village committee empowerment, Clean India Mission, Youth development, Self dependency etc.
JANPAD PANCHAYAT	State	2015-2016	100000	Under the Integrated Table development project the training program was arranged in village Malgaon and Bhediya Navagaon in Balod district for Ready to Eat making wherein 50 women were beneficiaries of different SHGs. Under the training program training given for making of Pickles, Papad, Badi etc. This training program conducted by organizations trainer Mst. Lata Umre

Contact Details

1/5/2018

NGO Darpan

Address	ANNAPURNA SINHA CHIEF FUNCTIONARY, SAHYOGI MITRA MANDAL, SUMITRA NIWAS, SANTOSHI DARBAR, GANJ PARA, DURG
City	DURG
State	CHHATTISGARH
Telephone	0788-2329388
Mobile No	9981022345
Website Url	Not Available
E-mail	sahyogicg1972(at)gmail(dot)com

		भारत सरकार Govt. of India सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES						
				Udyog Aadhaar				
<h1 style="color: green;">D</h1>		Type of Enterprise		Micro	Small	Medium		
		Manufacturing		A	B	C		
		Services		D	E	F		
		UAM No.		CG05D0009937				
Udyog Aadhaar Registration Certificate								
Udyog Aadhaar Number		CG05D0009937						
Name of Enterprise		SAHYOGI MITRA MANDAL						
Location of Plant Details								
SN	Flat/Door/Block No.	Name of Premises/Building Village	Road/Street/ Lane	Area/Locality	City	Pin	State	District
1	SUMITRA NIWAS	SANTOSHI DARBAR	WARD NO 37, AZAD WARD, DURG	DURG	DURG	491001	CHHATTISGARH	DURG
Official Address of Enterprise			WARD NO 37, AZAD WARD, DURG					
			District	DURG	State	CHHATTISGARH	PIN	491001
			Mobile No:	9981022345	Email:	sahyogicg1972@gmail.com		
Date of commencement			14/05/1996					
Major Activity			SERVICES					
Enterprise Type			Micro					
Previous Registration details-if any			::					
National Industry Classification Code								
SN	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit Code		Activity Type			
1	88 - Social work activities without accommodation	8810 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled	88100 - Social work activities without accommodation for the elderly and disabled		Services			
2	88 - Social work activities without accommodation	8890 - Other social work activities without accommodation n.e.c.	88900 - Other social work activities without accommodation n.e.c.		Services			
Acknowledgement		Date of Filing	23/05/2020	Date of Printing	29/05/2020			
Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required. Printed from udyogaadhaar.gov.in								
MyMsme Mobile App (Beta Version) is available now for download. https://play.google.com/store/apps/details?id=msme.mysmsme								



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Dated : 17-07-2021

NOTE - THIS LETTER IS ONLY AN APPROVAL FOR REGISTRATION OF THE ENTITIES FOR UNDERTAKING CSR ACTIVITIES.

To,
SAHYOGI MITRA MANDAL
HOUSE NO. 100, WARD NO. 15,
VILLAGE THANOD, DURG, CT,491001

PAN : AABAS0783J

Subject: In Reference to Registration of Entities for undertaking CSR activities

Reference: Your application dated 17-07-2021 (SRN-T31253081)

Sir/Madam,

With reference to the above, it is informed that the entity has been registered for undertaking CSR activities and the Registration number is CSR00011513. Please refer the registration number for any further communication.



Registrar of Companies

ROC-DELHI

Note: The corresponding form has been approved and this letter has been digitally signed through a system generated digital signature.

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय, छत्तीसगढ़
डाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक/मान्यता/2003/601
प्रति,

रायपुर, दिनांक 21-05-03

अध्यक्ष
सहयोगी मित्र मंडल
धनोद,
जिला दुर्ग

विषय:- विभागीय मान्यता प्रदान करने विषयक।

उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण जिला दुर्ग के पत्र क्र. 5582 दि. 13-12-2002 की अनुसंशा के आधार पर आपकी संस्था सहयोगी मित्रमंडल धनोद विकास खंड व जिला दुर्ग को वर्तमान में नशामुक्ति, निःशक्त एवं वृद्ध कल्याण गतिविधियों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर विभागीय मान्यता प्रदान की जाती है।

1. संस्था निश्चित प्रयोजन के लिए जाति पाति, धर्म, वर्ण, भाषा के भेदभाव के बिना राजनीति से परे रहकर निःस्वार्थ सेवा करेगी।
 2. संस्था शासन संचालनालय तथा विभागीय अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों का तत्परतापूर्वक पालन करेगी।
 3. संस्था नियमानुसार निर्दिष्ट समस्त आवश्यक अभिलेख रखेगी एवं जानकारी प्रस्तुत करेगी।
 4. संस्था की गतिविधियां जनहित, राष्ट्रहित एवं शासन के हितों के विपरित पायी गयी तो मान्यता तत्काल वापस ली जाएगी अथवा समाप्त कर दी जाएगी।
 5. यदि संस्था की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं पायी गई एवं संस्था के कार्यकलाप नियमों के विपरित पाए गए तो मान्यता तत्काल वापस ली जाएगी अथवा समाप्त कर दी जाएगी।
 6. प्रदत्त मान्यता अनुदान हेतु बाध्य नहीं होगी।
- संस्था पर कलेक्टर, दुर्ग उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण जिला दुर्ग का प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा एवं संचालनालय के अतिरिक्त वे इस संस्था का मार्गदर्शन एवं निर्देशन करेंगे।



संयुक्त संचालक * प्रशासन *

पंचायत एवं समाज सेवा छत्तीसगढ़
रायपुर, दिनांक

पृष्ठांकन क्रमांक/मान्यता/2003/
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपसंचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण जिला दुर्ग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




संयुक्त संचालक * प्रशासन *
पंचायत एवं समाज सेवा छत्तीसगढ़

भारत शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग)
नेहरु युवा केन्द्र संगठन

समिति का पंजीयन प्रमाण - पत्र



क्रमांक २५

यह प्रमाणित किया जाता है कि नेहरु

सहयोगी विद्या मंडल

नामक युवा मंडल, जो ग्राम

पनाई

विकासखंड

दुर्ग

तहसील

दुर्ग

दुर्ग (म. प्र.) में स्थित है, नेहरु युवा केन्द्र दुर्ग

जिला दुर्ग (म. प्र.) से सम्बद्ध कर, युवा संगठनों के सम्बद्धता पंजीयन की कार्यवाही के अधीन

दिनांक

२२. १. १९७६

को पंजीकृत किया गया है।

जिला युवा समन्वयक,

नेहरु युवा केन्द्र, दुर्ग

जिला - दुर्ग (म. प्र.)





नेहरू युवा केन्द्र संगठन

NEHRU YUVA KENDRA SANGATHAN

स्वायत्तशासी संस्था
युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय
भारत सरकार

an Autonomous Body under the
Ministry of Youth Affairs & Sports
Government of India


मीनाक्षी नटराजन

उपाध्यक्ष

Meenakshi Natrajan
Vice Chairman

दिनांक 12 अप्रैल 2007

आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं तथा उल्लेखित संस्था में किये गये कार्य प्रशंसनीय है। भविष्य में भी ऐसे कार्यों का होना जारी रहे।


(मीनाक्षी नटराजन)

श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा
अध्यक्ष
सहयोगी मित्र मण्डल

ईस्ट प्लाजा, इन्दिरा गांधी इण्डोर स्टेडियम, नई दिल्ली-110002

East Plaza, Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi-110 002

☎ : 011-23392634 Direct, 23392541, Fax : 011-23392539, email : nyks@iasdl01.vsnl.net.in

Vist our Internet web site at <http://www.nyks.org>

L.F. No. 2

Membership No. CLUB/2500/50/06



Helping Youth

Help Themselves

NATIONAL YUVA CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED

नेशनल युवा को-ओपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

REGD. OFFICE : C/O NYKS EAST PLAZA, I.G. STADIUM, NEW DELHI-110 002.
(Registered under Multi-State Co-operative Societies Act, 1984)

Regd. No. L-11015/14/99-L&M Dt. 9th Dec. 1999

Certificate No. **002505**.....

** 10 ** Shares

SHARE CERTIFICATE

(NON TRANSFERABLE)

Share No..... 25774 To..... 25783

This is to certify that Shri./Smt./M/s. **SAHYOGI MITRA MANDAL**.....
is/are the registered Proprietor of.....**TEN**.....fully paid
Shares of Rupees 10/100/1000 each of **NATIONAL YUVA CO-OPERATIVE**
SOCIETY LTD., New Delhi as per the bye-laws of the NYC Society Ltd.

Given under the common seal of the said Society this 15th day of May.....200¹.

Dr. Gurli.
Secretary

Manoj Kumar
Managing Director

President/Vice President

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA



स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

AABAS0783J

नाम / Name

SAHYOGI MITRA MANDAL

निगमन/गठन की तारीख
Date of Incorporation / Formation

14/05/1996

18022017

FORM NO. 10AC

(See rule 17A/11AA/2C)

Order for registration

1	PAN	AABAS0783J
2	Name	SAHYOGI MITRA MANDAL
2a	Address	
	Flat/Door/Building	thanod
	Name of premises/Building/Village	
	Road/Street/Post Office	Durg H.O
	Area/Locality	Thanaud
	Town/City/District	DURG
	State	Chhattisgarh
	Country	INDIA
	Pin Code/Zip Code	491001
3	Document Identification Number	AABAS0783JE2021201
4	Application Number	389992290300821
5	Unique Registration Number	AABAS0783JE20212
6	Section/sub-section/clause/sub-clause/proviso in which registration is being granted	01-Sub clause (i) of clause (ac) of sub -section (1) of section 12A
7	Date of registration	24-09-2021
8	Assessment year or years for which the trust or institution is registered	From AY 2022-23 to AY 2026-27
9	Order for registration:	
	a. After considering the application of the applicant and the material available on record, the applicant is hereby granted registration with effect from the assessment year mentioned at serial no 8 above subject to the conditions mentioned in row number 10.	
	b. The taxability, or otherwise, of the income of the applicant would be separately considered as per the provisions of the Income Tax Act, 1961.	
	c. This order is liable to be withdrawn by the prescribed authority if it is subsequently found that the activities of the applicant are not genuine or if they are not carried out in accordance with all or any of the conditions subject to which it is granted, if it is found that the applicant has obtained the registration by fraud or misrepresentation of facts or it is found that the assessee has violated any condition prescribed in the Income Tax Act, 1961.	
10	Conditions subject to which registration is being granted	
	The registration is granted subject to the following conditions:-	
	a. As and when there is a move to amend or alter the objects/rules and regulations of the applicant, prior approval of the Commissioner of Income Tax shall be sought along with the draft of the amended deed and no such amendment shall be effected until and unless the approval is accorded.	

b. In the event of dissolution, surplus and assets shall be given to an organization, which has similar objects and no part of the same will go directly or indirectly to anybody specified in section 13(3) of the Income Tax Act, 1961.

c. In case the trust/institution is converted into any form, merged into any other entity or dissolved in any previous year in terms of provisions of section 115TD, the applicant shall be liable to pay tax and interest in respect of accreted income within specified time as per provisions of section 115TD to 115TF of the Income Tax Act, 1961 unless the application for fresh registration under section 12AB for the said previous year is granted by the Commissioner.

d. The Trust/ Institution should quote the PAN in all its communications with the Department.

e. The registration u/s 12AB of the Income Tax Act, 1961 does not automatically confer any right on the donors to claim deduction u/s 80G.

f. Order u/s 12AB read with section 12A does not confer any right of exemption upon the applicant u/s 11 and 12 of Income Tax Act, 1961. Such exemption from taxation will be available only after the Assessing Officer is satisfied about the genuineness of the activities promised or claimed to be carried on in each Financial Year relevant to the Assessment Year and all the provisions of law acted upon. This will be further subject to provisions of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.

g. No change in terms of Trust Deed/ Memorandum of Association shall be effected without due procedure of law and its intimation shall be given immediately to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax. The registering authority reserves the right to consider whether any such alteration in objects would be consistent with the definition of "charitable purpose" under the Act and in conformity with the requirement of continuity of registration.

h. The Trust/ Society/ Non Profit Company shall maintain accounts regularly and shall get these accounts audited in accordance with the provisions of the section 12A(1)(b) of the Income Tax Act, 1961. Separate accounts in respect of each activity as specified in Trust Deed/ Memorandum of Association shall be maintained. A copy of such account shall be submitted to the Assessing Officer. A public notice of the activities carried on/ to be carried on and the target group(s) (intended beneficiaries) shall be duly displayed at the Registered/ Designated Office of the Organisation.

i. The Trust/ Institution shall furnish a return of income every year within the time limit prescribed under the Income Tax Act, 1961.

j. Separate accounts in respect of profits and gains of business incidental to attainment of objects shall be maintained in compliance to section 11(4A) of Income Tax Act, 1961.

k. The registered office or the principal place of activity of the applicant should not be transferred outside the jurisdiction of Jurisdictional Commissioner of Income Tax except with the prior approval.


l. No asset shall be transferred without the knowledge of Jurisdictional Commissioner of Income Tax to anyone, including to any Trust/ Society/ Non Profit Company etc.

m. The registration so granted is liable to be cancelled at any point of time if the registering authority is satisfied that activities of the Trust/ Institution/ Non Profit Company are not genuine or are not being carried out in accordance with the objects of the Trust/ Institution/ Non Profit Company.

n. If it is found later on that the registration has been obtained fraudulently by misrepresentation or suppression of any fact, the registration so granted is liable to be cancelled as per the provision u/s section 12AB(4) of the Act.

o. This certificate cannot be used as a basis for claiming non-deduction of tax at source in respect of investments etc. relating to the Trust/ Institution.

<p>p. All the Public Money so received including for Corpus or any contribution shall be routed through a Bank Account whose number shall be communicated to Office of the Jurisdictional Commissioner of Income Tax.</p>	
<p>q. The applicant shall comply with the provisions of the Income Tax Act, 1961 read with the Income Tax Rules, 1962.</p>	
<p>r. The registration and the Unique registration number has been instantly granted and if, at any point of time, it is noticed that form for registration has not been duly filled in by not providing, fully or partly, or by providing false or incorrect information or documents required to be provided under sub-rule (1) or (2) of rule 17A or by not complying with the requirements of sub- rule (3) or (4) of the said rule, the registration and Unique Registration Number (URN), shall be cancelled and the registration and URN shall be deemed to have never been granted or issued.</p>	
<p>Name and Designation of the Registration Granting Authority</p>	<p>Principal Commissioner of Income Tax/ Commissioner of Income Tax (Digitally signed)</p>



Document certified by SIBICHEN K MATHEW
 <mailto:sibichen.mathew@income.gov.in>

Digitally signed by
 SIBICHEN K MATHEW
 Date: 2024.09.24
 03:35:18 IST

Acknowledgement Receipt of Income Tax Forms (Other Than Income Tax Return)



e-Filing Acknowledgement Number / Quarterly Statement Receipt Number
130451550050222

Date of e-Filing
05-Feb-2022

Name	:	SAHYOGI MITRA MANDAL
PAN/TAN	:	AABAS0783J
Address	:	thanod,Thanaud,Durg H.O,DURG,Chhattisgarh,INDIA,491001
Form No.	:	Form 10A
Form Description	:	Application for registration or provisional registration or intimation or approval or provisional approval
Assessment Year	:	2022-23
Financial Year	:	-
Quarter	:	-
Filing Type	:	Original
Capacity	:	PO
Verified By	:	BFIPS2529Q

(This is a computer generated Acknowledgement Receipt and needs no signature)



Celebrating 30 Years
VOICE OF THE VOLUNTARY SECTOR

Voluntary Action Network India

(an apex body of voluntary organisations)

Governing Board Office-bearers

Chairperson
Biney Acharya
UNNATI
Gujarat

Treasurer
Anuja Bansal
SOS Children's Villages India
New Delhi

Chief Executive Officer
Harsh Jaitli

Governing Board Members

Basant Yadav
Sahabhagi Samaj Sevi Sanstha
Chhattisgarh

Gargi Banerji
Pragya
Haryana

G. Placid
SAHAYI
Kerala

Hemal Kamat
Concept Society
Madhya Pradesh

K. Panchaksharam
SIPA
Tamil Nadu

K.N. Tiwari
Disha Social Organization
Uttar Pradesh

Puja Marwaha
Child Rights and You
West Bengal

Raju Kumar Narzary
NERSWN
Assam

Saradindu Banerjee
Sabuj Sangha
West Bengal

Sanil Kaul
The Action Northeast Trust
Assam

Ms. Annapurna Sinha
Sahyogi Mitra Mandal
Sumitra Niwas Santoshi Darbar
Ganjpara Durg -421001
Chhattisgarh

Date: 25.03.2019

Subject: Congratulation on being admitted as VANI Member

Dear Ms. Annapurna Sinha

This has reference to your application for VANI's Organizational (Annual) membership. We are happy to inform you that VANI's Sub-Committee on Membership has approved your application and decided to confer membership on your organization and allotted organizational Membership No. 4578.

We also take this opportunity to congratulate and welcome you on-board VANI. We at VANI are committed to provide our members the services that will keep them updated about important events through a host of membership services in the voluntary sector from time to time, in addition to accommodating their varied needs and expectations. We remain open to your suggestions and feedback on important aspects of services that our members need from us and we shall be happy to hear from you in this regard.

Please feel free to get in touch with us should you need any further assistance and help. To update our self, please visit www.vaniindia.org
Thanking you once again for choosing VANI and become its member.

Best regards


Harsh Jaitli
Chief Executive Officer

संचालक मंडल

महेन्द्र कुमार सिन्हा, भुपेन्द्र सिंह बेलचंदन, नेतराम देशमुख, सुषमा साह, तुलसी राम देशमुख, रविन्द्र वर्मा, दीपीका चंद्रवंशी, धनेन्द्र कुमार सिन्हा, लता सोनवानी, प्रदीप कुमार

सहयोगी मित्र आत्मा समूह (F.I.G.)

पात्रता : कृषि या कृषितर गतिविधियों से जुड़े हुए किसान/शेयरधारक/समूह के सदस्य

- सदस्यता हेतु आवश्यक
- सदस्य संबंधित ग्राम / नगर का निवासी हो।
 - प्रत्येक किसान रूचि समूह (एफ.आई.जी.) में कुल 20 सदस्य होंगे।
 - प्रत्येक किसान रूचि समूह (एफ.आई.जी.) का अपना कमांडिटी क्लस्टर होगा।
 - प्रत्येक किसान रूचि समूह बचत एवं आपसी लेनदेन पद्धति पर कार्य करेंगे। इस हेतु प्रत्येक सदस्य प्रतिमाह 100 रु. बचत जमा करेंगे तथा समूह में आपसी लेन देन करना आवश्यक है।
 - प्रत्येक समूह का स्थानीय बैंक में संयुक्त बैंक खाता प्रारंभ किया जायेगा, जिसका संचालन समूह के अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
 - समूह का प्रत्येक माह में बैठक आवश्यक होगा। बैठक की कार्यवाही पंजी में दर्ज किया जायेगा तथा समस्त आवश्यक अभिलेख संधारित किया जायेगा।
 - सदस्यों को SMFPC कंपनी/विभाग द्वारा आयोजित सभी बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रमों में सहभागिता आवश्यक होगी।
 - सदस्यों/शेयर धारकों को कंपनी/विभाग के नियम व शर्तें मान्य होंगी।

- कंपनी के सहयोगी
- कृषि एवं उद्यानिकी विभाग जिला दुर्ग (छ.ग.)
 - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
 - लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी) सहयोगी मित्र मंडल, दुर्ग (छ.ग.)

रिसोर्स संस्था

दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान है
जरिया बनकर किसी को उपर उठाना और बात है.....

शेयर धारक एवं सदस्य बनिए

सहयोगी मित्र फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
(किसान उत्पादक कंपनी)

कंपनी अधिनियम 2013 (सेक्शन 8) के तहत पंजीकृत

मार्गदर्शिका

हमारा पता

सहयोगी मित्र मंडल
मकान नं. 267, वार्ड नं. 37, आजाद वार्ड
गंजपारा, दुर्ग (छ.ग.) 491001
मोबा./वाट्सऐप : 9981022345
ईमेल: sahyogicg1972@gmail.com
वेबसाइट: www.sahyogicg.org

किसान उत्पादक संगठन (FPO)

किसान या किसान समूह द्वारा गठित उत्पादक संगठन जिसका प्रमुख कार्य (कमोडिटी) कृषि एवं कृषितर कार्य, फल एवं सब्जी उत्पादक, टैराकोटा, लघु एवं ग्रामोद्योग, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, शिल्पीयों जैसे प्राथमिक उत्पादकों द्वारा गठित विधिय निकाय है जो व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर सकता है और इससे प्राप्त लाभ को अपने सदस्यों के बीच बांट सकता है।

किसानों को उनके आय में वृद्धि कर सक्षम बनाने के लिये, तकनीकी सहयोग, वित्तिय सहयोग एवं बाजार पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी परियोजना किसान उत्पादक संगठन (FPO) प्रारंभ किया गया है। जिसे प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जायेगा। इस परियोजना के माध्यम से किसान एवं कृषि से जुड़े हुए समूहों को वित्तिय सहयोग प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

हमारे बारे में – सहयोगी मित्र एफ.पी.ओ.

सहयोगी मित्र मंडल एक पंजीकृत एवं पुरस्कृत स्वयंसेवी संस्था है। संस्था सोसायटी अधिनियम, आयकर अधिनियम, विदेशी अनुदान अधिनियम, लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम (MSME) कंपनी अधिनियम (सेक्शन 8) तथा निती आयोग से पंजीकृत है। अंचल में किसानों के मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तबे समय से कार्यरत है। संस्था कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं नाबार्ड के सहयोग से कृषि क्षेत्र में किसानों की बेहतरी के लिये सतत प्रयासरत है। इसी तारलम्य में संस्था द्वारा जिला दुर्ग के सभी ग्रामों एवं नगरीय निकाय में किसानों के हित में सहयोगी मित्र आत्मा समूह प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में अंचल के 1000 प्रगतिशील किसान इस संगठन से जुड़े हुए हैं।

विशेष – रिमोर्स संस्था सहयोगी मित्र मंडल को दिये गये दान आयकर अधिनियम की धारा 80 C(5)(vi) के तहत आयकर में छुट योग्य है।

एक परिचय

कंपनी का नाम	: सहयोगी मित्र फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
कंपनी का कार्यालय	: मकान नं. 267, आजाद वार्ड क्रं. 37, गंजपारा, दुर्ग
वैधानिक स्वरूप	: कंपनी अधिनियम 2013(सेक्शन 8) के तहत पंजीकृत
पंजीयन क्र. व दिनांक	: क्र. 010129, दिनांक 06.06.2020
C.I.N.	: U01100CT2020PTC010129
कमोडिटी क्लस्टर	: जिला दुर्ग/छ.ग. में कृषि एवं कृषितर गतिविधी
कंपनी में शेयर धारक	: 1000 किसान
प्राधिकृत पूंजी	: रु. 10 लाख (10रु. मुल्य के कुल 1 लाख शेयर)
कंपनी गठन के लाभ	: <ul style="list-style-type: none"> ● कृषि उत्पादन लागत में कमी ● कृषि उत्पादन के लिये उचित मूल्य एवं आर्थिक लाभ
कंपनी की विशेषता	: यह पंजीकृत व विधिक निकाय है जिसमें उत्पादक शेयर धारक है। कंपनी में लाभ के एक हिस्से को शेयर धारक / सदस्यों में बाँट दिया जाता है तथा शेष हिस्से से कंपनी के व्यवसाय में विस्तार किया जाता है।
कंपनी के कार्य	: इनपुट सप्लाय, वित्तिय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, बीमा, प्राव्यूरमेंट, पैकेजिंग, मार्केटिंग एवं नेटवर्किंग तथा उन्नत कृषि उत्पादकता के लिये योजना निर्माण, योजना का क्रियान्वयन एवं योजना की मॉनिटरिंग।
शेयर धारकों को लाभ	: वार्षिक लाभों, कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, मौसम, बीज, बाजार, तकनीकी मार्गदर्शन, फसल प्रदर्शन आयोजन, फार्म स्कूल संचालन, कृषक पुरस्कार, उन्नत समूह पुरस्कार, कृषि यंत्रीकरण, सुश्रम सिंचाई एवं अयोसंरचना निर्माण।
कंपनी की सदस्यता	: सदस्यता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र आकलार्डन / आनलार्डन KYC के साथ भरकर ली जा सकती है।
सदस्यता शुल्क	: Online Form Available: www.sahyogitri.org/smfpcform प्रति शेयर 10 रु. के न्यूनतम 100 शेयर खरीदना आवश्यक है व प्रति सदस्य 100 रु. पंजीयन शुल्क देय होगा। शेयर राशि प्राप्त के 30 दिनों के भीतर शेयर सर्टिफिकेट प्रदान किये जायेंगे।

10. सहयोगी मित्र मंडल से संबंधित गरीब, निर्धन, अनाथ बच्चों के उच्च शिक्षा हेतु सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग. मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

11. उक्त कार्यों के संपादन हेतु महाविद्यालय की ओर से विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग अधिकृत होंगे।

12. इस अनुबंध की अवधि तिथि से तीन वर्ष की होगी। दोनों पक्षों की सहमति होने पर अनुबंध आगे पुनः बढ़ाया जा सकेगा।

दुर्ग. दिनांक : 18 जनवरी 2022

(महेन्द्र कुमार सिन्हा)

सी.ई.ओ.
सहयोगी मित्र मंडल
केन्द्र निर्देशक
सहयोगी कम्युनिटी एफ.एम. रेडियो
एम.डी.
हरियालीजगार फार्मर प्रोड्यूसर कं.लि
सहयोगी फार्मर प्रोड्यूसर कं.लि

(डी.आर. भावनानी)

प्राचार्य
सेठ आर.सी.एस. कला एवं
वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग (छ.ग.)

गवाह :

1.

2.

गवाह :

1. डॉ. प्रमोद यादव -

2. डॉ. आयशा अहमद -



MoU



between

**Department of Political Science
Seth R.C.S. Arts & Commerce College**

Utai Road, Near Ravishankar Shukla Stadium, Durg (C.G.) 491001
(Run By : District Education Society, Durg)

Accredited with Grade B by NAAC

Affiliated to Hemchandra Yashwantrao Chavan Vishwavidyalaya, Durg
Recognised Under 2(F) & 12(B) of the UGC Act, 1956

Phone : (0788)2322457

Website: www.rcscollege.com Email: rcscollege1964@gmail.com

&

**Sahyogi Mitra Mandal
Sahyogi Community F.M. Radio
Sahyogi Farmer Producer Co. Ltd.
Hariyaljagar Farmer Producer Co. Ltd.**

Head Office: Sumitra Nivas, Santoshi Darbar, Ganjpara, Durg (C.G.) 491001

Website: www.sahyogirg.org Email: sahyogirg1972@gmail.com

अनुबंध की नियम एवं शर्तें

1. सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग. के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को सहयोगी मित्र मंडल के विषय विशेषज्ञ पंचायती राज संस्थाओं/ग्रामीण विकास के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे।
2. सहयोगी मित्र मंडल द्वारा सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग. के चयनित विद्यार्थियों को युवा विकास, आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल एवं स्वच्छता, नेतृत्व, संगठन क्षमता, सामाजिक अंकेक्षण आदि तथा समसामयिक विषयों पर प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करेगा।
3. उक्त कार्य हेतु महाविद्यालय द्वारा सहयोगी मित्र मंडल को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. सहयोगी कम्प्यूनिटी एफ.एम. रेडियो को महाविद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित विशेषज्ञ के आवश्यकता होने पर सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग. सहयोग करेगा।

5. सहयोगी कम्प्यूनिटी एफ.एम. रेडियो द्वारा चलाये जा रहे सामाजिक जागरूकता अभियान में सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग. सहयोग करेगा।
6. सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग. के विद्यार्थी जिस ग्रामीण अंचल से आते हैं वहां की समस्याओं, उपलब्धियों या अन्य समाचारों की सूचना सहयोगी कम्प्यूनिटी एफ.एम. रेडियो को देने में महाविद्यालय सहयोग करेगा।
7. शोध केन्द्र राजनीति विज्ञान, सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग. के पी.एच.डी. शोधार्थियों एवं एम.ए. राजनीति विज्ञान (प्रोजेक्ट वर्क) के विद्यार्थियों को उसके विषयगत जानकारी प्रदान करने में सहयोगी मित्र मंडल एवं उससे जुड़ी सभी संस्थाएं सहयोग करेंगे।
8. सहयोगी मित्र मंडल एवं उससे जुड़ी संस्थाओं के आवश्यकता होने पर उनके कार्यस्थल का भ्रमण महाविद्यालय के चयनित विद्यार्थियों को कराया जायेगा। इस कार्य हेतु महाविद्यालय सहयोग करेगा।
9. नवीन एवं नवाचार के कार्यों में संस्था कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से सेठ आर. सी. एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग छ.ग. के विद्यार्थियों को आजीविका से जोड़ने हेतु सहयोगी मित्र मंडल प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करेगा।

कार्यालय प्राचार्य
सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग)
Email : rcscollege1964@gmail.com phon: 0788-2322457

पत्र क्र. S/RCS/143/2022

दिनांक : 13/01/2022


प्रति,


श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा
सी.ई.ओ. – सहयोगी मित्र मंडल
केन्द्र निर्देशक – सहयोगी कम्युनिटी एफ.एम. रेडियो
एम.डी. – हरियालीजगार फार्मर प्रोड्यूसर कं.लि.
एम.डी. – सहयोगी फार्मर प्रोड्यूसर कं.लि.
जिला-दुर्ग छ.ग.

विषय : महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग/महाविद्यालय एवं आपकी विविध संस्थाओं से अनुबंध करने की सहमति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांगत लेख है कि महाविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग/महाविद्यालय द्वारा आपकी विविध संस्थाओं के उद्देश्यपूर्ण कार्यों का लाभ महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रदान करना चाहता है। इस हेतु महाविद्यालय आपके विविध संस्थाओं के साथ अनुबंध करने की इच्छुक है। अतः इस हेतु सहमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे ताकि आपके विविध संस्थाओं और महाविद्यालय द्वारा MOU किया जा सके।


DR. PRAMOD YADAV
H.O.D.
Dept. of Political Science
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
Durg (C.G.)


(डी.आर. भावनानी)
Principal
Seth R.C.S. Arts & Comm. College
DURG (C.G.)



शैलदेवी महाविद्यालय Shaildevi Mahavidyalaya

E-mail : shaildevicollege@gmail.com, Web : www.shaildevi.com
Anda, Durg, Chhattisgarh - 491221


Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg
Cell. : 9575037637, 8889963254

Ref. J832/SDM/1021

Date : 07/12/2021...

कर्तव्य प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा, सहायोगी मित्र मंडल दुर्ग द्वारा शैलदेवी महाविद्यालय, अण्डा में दिनांक 07 दिसंबर 2021 को आयोजित अतिथि व्याख्यान कार्यक्रम में "ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों की समाज कार्य में भूमिका विषय पर" अतिथि वक्ता के रूप में उपस्थित होकर व्याख्यान एवं प्रशिक्षण कार्य संपादित किया गया।


PUMAN
प्राचार्य
7-12-2021
शैलदेवी महाविद्यालय
अण्डा-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ शासन का अभिन्न पहल नरवा, गरुवा, धुरूवा एवं बाड़ी पर क्षमता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च - अप्रैल 2019

जिला कबीरधाम

आयोजक	: वनमंडलाधिकारी वन मंडल - कबीरधाम (छ.ग.) नोडल एजेंसी - नरवा विकास कार्यक्रम
क्रियान्वयन	: वन परिक्षेत्र अधिकारी, कबीरधाम (छ.ग.)
तकनीकी मार्गदर्शन	: वनदर्शन संस्था, कबीरधाम (छ.ग.)
प्रशिक्षण सहयोग	: सहयोगी मित्र मंडल, दुर्ग (छ.ग.)
विषयवस्तु	: PRA तकनीक से सभी ग्रामों व पंचायतों का सामाजिक व संसाधन मानचित्रण, समस्या चित्रण तथा समाधान हेतु व्यापक जनभागीदारी व बुनियादी तथा कारगर सुझाव
प्रशिक्षण स्थल	: वन वृत्त विल्फी, रेंगाखार, खारा, सहसपुर लोहारा, पंडरिया पूर्व एवं पंडरिया पश्चिम (कुकडुर)
प्रतिभागी	: वन वृत्त के रेंजर, वन विस्तार अधिकारी, बीट गार्ड, वन प्रबंधन समिति, सरपंच, पंच, मितानिन, प्रेरक, रोजगार सहायक, सामाजिक कार्यकर्ता, निवृत्तमान अधिकारी एवं कर्मचारी
मुख्य प्रशिक्षक	: श्री महेन्द्र कुमार सिन्हा, सहयोगी मित्र मंडल, दुर्ग (छ.ग.)
सहयोगी प्रशिक्षक	: श्री संजय कुलदीप, सुश्री विनिता साहू, सुश्री कंचन पटेल, सुश्री डाली वर्मा, सुश्री स्वाती शेरपा, श्री रविकांत साहू, श्री दुधंत देशमुख, श्री सदीप कुलदीप, श्री थानेश्वर प्रसाद सिन्हा (बंटी)
विशेष मार्गदर्शन	: माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, वन मंत्री छ.ग. शासन, श्री दिलराज प्रभाकर, वनमंडलाधिकारी कवर्धा, वनवृत्त के रेंजरगण-श्री संजय रततिया, श्री गणेश राम ठाकुर, श्री अनिल बंबाई, श्री नायडू, श्री देवदारु, श्री देवेन्द्र गोड रेंजर मारमदेव अभ्यारण, श्री जीटन देशमुख, श्री महेश चंद्रवंशी, डॉ. कर्पण
आयोजन सहयोग	: राजेन्द्र निर्मलकर, मानसिंग, जितेन्द्र निर्मलकर
विजिट	: www.sahyogicg.org
संभार	: श्री दिलराज प्रभाकर, वनमंडलाधिकारी, जिला कबीरधाम (छ.ग.)



नेडल:- जे.आर.डी.दुर्ग



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

डोम पब्लिक स्कूल, गंजपारा, दुर्ग

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

सत्र - 18/03/2018 से 17/03/2021